न्यायालय– सिविल जज सी0डि0, जौनपुर।

उत्तराधिकार वाद संख्या–48/2022

हीरालाल व अन्य बनाम गीता देवी व अन्य।

दिनाक 09.09.2023

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सायलगण हीरालाल, बनवारीलाल व बॉकेलाल की तरफ से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र 4ग पर पूर्व में सुना जा चुका है। मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

सायलगण हीरालाल, बनवारीलाल व बॉकेलाल के अनुसार उनके पिता सूर्यबली की मृत्यु दिनांक 22.04.2021 को हो गयी है। सायलगण मृतक के पुत्रगण है एवं विधिक वारिस है। अतः मृतक के नाम बैंक में जमा धनराशि के बावत सायलगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये। सूची से मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, परिवार रजिस्टर एवं बैंक आख्या दाखिल है। विपक्षीगण पर नोटिस तामीला के सम्बन्ध में समाचार पत्र एवं मुनादी इस्तेहार पत्रावली पर उपलब्ध है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूर्यबली की मृत्यु दिनांक 22.04.2021 को हो गयी है तथा निकट सम्बन्धी प्रमाणपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि सायलगण एवं विपक्षीगण मृतक के विधिक वारिस हैं।

विपक्षीगण की ओर से अनापत्ति दाखिल कर यह कहा गया है कि मृतक के नाम जमा धनराशि के बावत सायलगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये, उन्हें कोई आपत्ति नही है। सायलगण एवं विपक्षीगण की ओर से साक्ष्य जरिए शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

सायलगण की तरफ से अपने साक्ष्य शपथपत्र में यह कहा गया है कि सायलगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये। अन्य किसी ब्यक्ति की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति नही की गयी है। अतः उपरोक्त को देखते हुए प्रार्थना पत्र 4ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

सायलगण हीरालाल, बनवारीलाल व बॉकेलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4ग स्वीकार किया जाता है। सायलगण के पक्ष में मृतक सूर्यबली के नाम भारतीय स्टेट बैंक, मड़ियॉहू, जौनपुर के विशेष/ सावधि जमा रसीद खाता संख्या–33229496797 में जमा धनराशि मु0 588026/–रूपये एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा मड़ियॉहू जिला जौनपुर के खाता संख्या–10956954467 में जमा धनराशि मु0 52375/–रूपये के परिपक्वता धनराशि पर दो जमानत एवं इतनी ही धनराशि के स्वबन्धपत्र दाखिल करने पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किया जाये। यदि प्रार्थना पत्र मे कोई तथ्य छिपाया गया होगा तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

(ज्योति अग्रवाल)
सिविल जज सी0डि0,जौनपुर।

Digitally signed by Jyoti Agarwal
Date: 2023.09.09 15:53:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court jaunpur